न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **194/2022** अन्तर्गत धारा **131, 136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
इधो पत्नी गनीखान जाति मुसलमान, निवासी बरियाड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. बचू पुत्र सुभान जाति मुसलमान, निवासी बड़ली चारणान तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर 3. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण मरूधरा बैंक, शिव

उपस्थित : अधिवक्ता प्रार्थीनी :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: आदेश ::—

दिनांक : **03.07.2024**

प्रार्थीनी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा बरियाड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 721/643 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है। प्रार्थीनी की खातेदारी के सेढासेढ ही विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 643/560, 560 रकबा क्रमशः 10.1981, 3.9335 हैक्टेयर आये हुए है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि मूल खसरा नम्बर 560/3 के विभक्त खसरा नम्बर है। विप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 560/3 रकबा 75.00 बीघा में से 12.00 बीघा भूमि प्रार्थीनी को बैचान कर मौके पर काबिज किया गया। उक्त बैचान से लेकर आदिनांक तक प्रार्थीनी अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्त पृथक खाते की लट्ठा नक्शा में तरमीम नहीं की गई। बाद में नामांतरकरण संख्या 888 की स्वीकृति से प्रार्थीनी का खाता पृथक किया जाकर अमलदरामद किया गया। उक्त अमलदरामद में राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 721/643 व 560 मे राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त खसरा नम्बर मूल रूप से गोपालदान पुत्र बींजराजदान को आंवटित हुआ था, जिसमें नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम एवं लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम तथा मौका स्थिति में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीनी के मौके पर कब्जा काश्त मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान् द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

रा मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार एवं मौके पर प्रार्थीनी के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बरियाड़ा, तहसील शिव में प्रार्थीनी की खातेदारी के खसरा नम्बर 721/643 रकबा 1.9425 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 643/560, 560 रकबा क्रमशः 10.1981, 3.9335 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner